



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259188
CG-DL-E-05122024-259188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]
No. 688]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2024/अग्रहायण 13, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024/AGRAHAYANA 13, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 750(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 में खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(ज). केकड़े के बीज उत्पादन और कल्चर के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(झ) मेरीन फिनफिश के बीज उत्पादन और कल्चर के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

(ञ) समुद्री और खारे जल में स्वदेशी श्रिम्प प्रजातियों के बीज उत्पादन और कल्चर के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

- (ट) समुद्री/खारे जल के सजावटी जीवों के लिए हैचरी और पालन-पोषण इकाइयों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (ठ) समुद्री और खारे जल में समुद्री शैवाल (पौधे) उत्पादन और कृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (ड) समुद्री/खारे जल की जल कृषि (एक्वाकल्चर) प्रजातियों को केज और पेन में कल्चर को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (ढ) तटीय जलकृषि में लाइव फीड कल्चर इकाइयों के विनियमन और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश;
- (ण) बायो-फ्लोक, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और नर्सरी आधारित जल कृषि प्रणाली को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (त) जल क्षेत्रों और जल मानचित्रण को अधिसूचित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (थ) समुद्री और खारे जल में सीपि के बीज उत्पादन और कृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;
- (द) पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत और विध्वंस करने की लागत के निर्धारण तथा पर्यावरण मॉनिटरी निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश।”

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3,(i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 33(अ) तारीख 09 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2024

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rule to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rule may be called the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, in rule 3, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

“(h). Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of crab;

(i). Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of marine finfishes;

(j). Guidelines for regulating hatcheries and farms for seed production and culture of indigenous shrimp species in marine and brackish water;

(k). Guidelines for regulating hatcheries and rearing units for marine/brackish water ornamental organisms;

(l). Guidelines for regulating seaweed seedling production and farming in marine and brackish water;

(m). Guidelines for regulating cage and pen culture of marine/brackish water aquaculture species;

(n). Guidelines for regulating live feed culture units and management in coastal aquaculture;

(o). Guidelines for regulating Bio-floc, Recirculatory Aquaculture Systems (RAS), and Nursery-based Aqua Farming Systems;

- (p). Guidelines for notifying the aqua zones and aqua mapping;
- (q). Guidelines for regulating seed production and farming of bivalves in marine and brackish water;
- (r). Guidelines for assessment of cost for the damage to environment and cost of demolition and utilization of environment monitoring fund.”

[F. No. J-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 33(E), dated the 09th January, 2024.